

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/04

रायपुर, दिनांक 27.10.2004

प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- राज्य शासन के नवनियुक्त कर्मचारियों हेतु दिनांक 1.11.2004 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करना ।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.11.2004 अथवा इसके पश्चात् पेंशन योग्य स्थापना में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर एक नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त योजना लागू करने संबंधी प्रारंभिक अधिसूचना तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 एवं "छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(सतीश पाण्डेय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


पृ.क्र. 981/सी-761/04/वि/नि/चार

रायपुर, दिनांक 27.10.2004

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
 6. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
 8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
 9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
 10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
 11. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
 12. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
 13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
 14. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
 15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
 16. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
 22. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

